अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...

न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 187/2020 दिनांकः 02.12.2021

उनवान

नोजूलाल पिता हेमा जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी केसरपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

---वादी

बनाम

1. गणेश पिता दल्ला जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी भीलगट्टी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. पप्पू पिता भंवरलाल जी जाति मीणा, उम्र वयस्क निवासी जलोदिया केलुखेड़ा, तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ
3. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया – वादीगण एंव प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भीलगट्टी पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदेसर के खाता संख्या 32 पर दर्ज आ.नं. 262 रकबा 3.48 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण तथा प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड है, तथा माफिक हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहें है मगर खाता शामलाती होने से व विधिवत बंटवाडा नही होने से रकबे एवं लगान को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। तथा वादी अपने हक हिस्से की आराजी को उन्नत नहीं करा पा रहा है बंटवाडा हेतु प्रतिवादी को बंटवाडा हेतु इन्कार हो गये। वादग्रस्त आराजीयात ... प्रतिवादी अन्य को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः ... कराया जावे।

प्रकरण बाद कार्यवाही दिनांक 04.10.2021 को प्राथमिक ... पटवार स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा ग्राम भील...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

हल्का कन्नौज की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/राजस्व/2021/20 दिनांक 29.11.2021 से तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से आराजी का बंटवारा वाद वादी निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र. स.	नाम खातेदार मय हिस्सा	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर में)	किस्म	लगान (रूपये)
1	नेजूलाल पिता हेमा भील	262/1	1.16	माल1	9.28
	कुल	किता 1	1.16		9.28
2	पप्पूलाल पिता भंवरलाल मीणा सा0 जलोदिया केलुखेडा छोटीसादडी	262/2	0.77	माल1	6.16
	कुल	किता 1	0.77		6.16
3	गणेश पिता दल्ला भील सा0 देह	262/3	1.55	माल1	12.40
		किता 1	1.55		12.40

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से [illegible] जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:03 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर।

Scanned with CamScanner